प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 34 सन 2022

अनवान :–

1. सुलतान पुत्र हरिराम जाति बावरी निवासी चक 7 डीडब्ल्यूडी निरवाल तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 16/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम रोही मोजा किकंराली के खाता संख्या 144 की कुल 13.1270हैक्‍ भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी की वल्दीयत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सुल्तान पुत्र परमेश्वरी जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी की सही वल्दीयत सुल्तान पुत्र हरिराम जाति बावरी निवासी चक 7 डीडल्यूडी निरवाल तहसील रावतसर है यही वल्दीय अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी की गलत वल्दीयत राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी की वल्दीयत अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी की वल्दीयत सुल्तान पुत्र हरिराम जाति बावरी निवासी चक 7 डीडल्यूडी निरवाल तहसील रावतसर दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की वल्दीयत गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपनी सही वल्दीयत राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा किकंराली के खाता संख्या 144 की कुल 13.1270हैक्‍ भूमि भूमि में प्रार्थी की वल्दीयत सुल्तान पुत्र परमेश्वरी जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर के स्थान पर सुल्तान पुत्र हरिराम जाति बावरी निवासी चक 7 डीडल्यूडी निरवाल तहसील रावतसर संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मोजा किकंराली के खाता संख्या 144 की कुल 13.1270हैक्‍ भूमि का खातेदार काश्तकार है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की वल्दीयत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सुल्तान पुत्र परमेश्वरी जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी की सही वल्दीयत सुल्तान पुत्र हरिराम जाति बावरी निवासी चक 7 डीडल्यूडी निरवाल तहसील रावतसर है यही वल्दीय अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी की गलत वल्दीयत राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी की वल्दीयत अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी की वल्दीयत सुल्तान पुत्र हरिराम जाति बावरी निवासी चक 7 डीडल्यूडी निरवाल तहसील रावतसर दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की वल्दीयत गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपनी सही वल्दीयत राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मोजा किकंराली के खाता संख्या 144 की कुल 13.1270हैक भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी की वल्दीयत सुल्तान पुत्र परमेश्वरी जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसकी सही वल्दीयत सुल्तान पुत्र हरिराम जाति बावरी निवासी चक 7 डीडल्यूडी निरवाल तहसील रावतसर है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी की सही वल्दीयत सुल्तान पुत्र हरिराम जाति बावरी निवासी चक 7 डीडल्यूडी निरवाल तहसील रावतसर दर्ज है प्रार्थी ने अपनी वल्दीयत के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात /ग्राम पचांयत की तस्दीक/तहसीलदार की अभिशषां के आधार पर प्रार्थी अपनी वल्दीयत राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मोजा किकंराली के खाता संख्या 144 की कुल 13.1270हैक भूमि में प्रार्थी की वल्दीयत सुल्तान पुत्र परमेश्वरी जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर के स्थान पर सुल्तान पुत्र हरिराम जाति बावरी निवासी चक 7 डीडल्यूडी निरवाल तहसील रावतसर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री/आदेश आज दिनांक 16/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट...

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2022 / 1529 दिनांक :– 19/05/22

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 34 / 2022 अनवानी सुल्तान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. सुलतान पुत्र हरिराम जाति बावरी निवासी चक 7 डीडब्ल्यूडी निरवाल तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 05 / 2022 अनवानी सुलतान बनाम सरकार में दिनांक 16/05/22 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा किकंराली के खाता संख्या 144 की कुल 13.1270हैक भूमि में प्रार्थी की वल्दीयत सुल्तान पुत्र परमेश्वरी जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर के स्थान पर सुल्तान पुत्र हरिराम जाति बावरी निवासी चक 7 डीडल्यूडी निरवाल तहसील रावतसर संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट........

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner